

22.5.18


पञ्जाब न्यायिक सेवा बोर्ड का कारनाम में पेशा हुई पञ्जाब न्यायिक सेवा बोर्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वादपत्र के परिशेषों को अतिरिक्त रखने का कारण अनुशेष-वादी नहीं होने पर परिस्थिति वादपत्र के अतिरिक्त विपरीत नहीं वादी द्वारा वादपत्र वास्तविक तथ्यों को धुंधला कर पेश किया गया है। इसीलिए वादपत्र का कोई भी अधिपत्र नहीं रह गया है। वादपत्र आधार हीन होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतिक्रिया है।

आदेश

वादी का वादपत्र आधारहीन होने को स्वीकार किया जाता है।

पञ्जाब न्यायिक सेवा बोर्ड को कर नंबर को कागज तथा दारिद्र्य प्रपत्र हो।

द्वितीय आदेश दिनांक 22.5.18 के कार्य को रोक कर कारनाम में सुनाया गया।


उपस्थान्त रजिस्ट्रार
पञ्जाब न्यायिक सेवा बोर्ड